[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 06/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 03 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ)- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, (जिसे इस अधिसूचना में इसके के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि के संबंध में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ष के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय सीमा को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समय अवधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या.	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारोबार का मुख्य स्थान निम्न में से कहीं भी है**	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विवरणी देने की नियत तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	5 फरवरी, 2020
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल,अन्य राज्य क्षेत्र	7 फरवरी, 2020

[फा.न. 20/06/07/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक भारत सरकार